

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास,
प्राधिकरण, देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 29 अप्रैल, 2019

विषय- उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत 571 पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून के पत्रांक:- 04/उडा-02/2014, दिनांक 03.04.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-2104/V-2-2017-53(आ0)/2014 दिनांक 15.12.2017 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के राज्य स्तरीय मुख्यालय तथा 12 जनपदों हेतु पृथक-पृथक जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु सृजित कुल 571 अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 29.02.2020 बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2104/V-2-2017-53(आ0)/2014 दिनांक 15.12.2017 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के राज्य स्तरीय मुख्यालय तथा 12 जनपदों हेतु पृथक-पृथक जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु सृजित कुल 571 अस्थायी पदों की निरन्तरता 29.02.2020 बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या- —/V-2/53(आ0)2014टी0सी0-03/2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (देहरादून को छोड़कर)।
- 4-समस्त मुख्या/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5-वित्त अनुभाग-2/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
- 6-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून।
- 7-गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

140
4.5.19